आमन्त्रा दिनांक 10-6-24 को पेश हो।

10/6/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई कोई हाजीर नहीं अतः पत्रावली को अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज किया जाता है। पत्रावली केशल शुमार होकर कामलम के नम्बर से कम की जाकर दाखील दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)